

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम मूशी तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 164/2011 राजस्व वाद

उनवान

1. गीतादेवी पत्नि जगदीश शर्मा निवासी मूशी तहसील बनेड़ा हाल मुकाम सुभाषनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा — (वादीया)

बनाम

1. मृतक सत्यनारायण पिता धन्ना लुहार जरिये पुत्र रामेश्वर पिता सत्यनारायण लुहार उम्र बालिग निवासी मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. नन्दलाल माता सुगनी लुहार पुत्र लादु लुहार उम्र बालिग निवासी मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा एवं पदेन उपजीयक बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) — (प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्रीमति गीतादेवी शर्मावादीया

दिनांक– 08.06.2017


राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम मूशी में वादीया उपस्थित। आज दिनांक 08.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि – वादीया का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मूशी पटवार क्षेत्र मूशी की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01, 02 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. गीतादेवी पत्नि जगदीशचन्द्र शर्मा ब्राहमण निवासी मूशी सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
1738	03-10	1.57
1800	01.12	4.32
कुल 2	रकबा 5-02 बीघा	5.89

2. रमेशचन्द्र पिता सत्यनारायण, नन्दलाल माता सुगनी लुहार सा0मूशी हि0ब0

आ0न0	रकबा	लगान
1445	0.08	2.10
1462	0.16	2.85
1860	1.08	3.78
कुल 3	रकबा 2-12 बीघा	8.73


उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

उक्तानुसार भूमि वादीया व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीया के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 08.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम मूशी में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला, भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा राज,